



२३ पञ्जावली पेशदुई वकील प्राधी व परमाणु
सककार उपस्थित। वकील प्राधी ने अपनी
बहस में निवेदन किया कि अप्राधी सं.
। लगायत ५ को अस्थाई निषेधाज्ञा
से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त
भूमि को किसी भी रूप में अन्तर्वित,
भारग्रस्त नहीं करे, प्राधी के वास्तु कार्य



में बाधा कारित न करे, पार्टी को प्लान बैकअप
 नहीं करे। इस हेतु मूल वाद के निस्तारण तक
 अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म की जावे। पेशेकार
 सरकार में अपने जवाब को ही बहस मानने हेतु
 निवेदन किया। वकील पार्टी की बहस एवं पत्रावली
 में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थाई
 निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला,
 सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय भाति पार्टी के
 पक्ष में सिद्ध होते हैं। अतः पार्टी द्वारा उक्त
 पार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्त-
 कारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाने
 प्रोग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा
 पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के
 निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल
 सुमार होकर नम्बर से कम है।

निर्णय आज दिनांक 20-7-23 को मेरे द्वारा
 लिखा गया जाकर सेरे इजलास सुनाया गया।

20.7.23

उपखण्ड अधिकारी
 रूपनगढ़ (अजमेर)

